फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रतन लाल | बनाम | विपक्षी : श्री गंगाराम

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम | पत्रावली संख्या : 79/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 05.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 मय विपक्षी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 4 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कि.या जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज है तथा इसी अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहें हैं। जिसमें अन्य किसी का कोई हक, अधिकार आधिपत्य नहीं है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 4 बेवजह प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो रहे है साथ ही प्रार्थनाग्रस्त कृषि भूमि में अवैध रूप से प्रवेश करने की धमकी दे रहें है तथा कृषि भूमि को हडपने पर उतारू है जिससे विपक्षी संख्या 1 से 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब में बताया कि आराजी न. 482 में से रकबा 18 बिस्वा भूमि को मूल खातेदार उदयलाल जी द्वारा आपसी विनिमय से विपक्षी सं. 1 को आज से करीब 30 साल पहले कब्जे में सौंप दी थी और इसके बदले में विपक्षी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आ.न. 1117 किस्म मकान में से 1/4 हिस्से वाला भाग मय निर्मित मकान के कब्जे में लिया था तब से अपने अपने विनिमय वाले भाग पर काबिज चले आ रहें हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। विपक्षी द्वारा आराजी न. 482 में से 18 बिस्वा भूमि को आपसी विनियम में विपक्षी संख्या 1 को दिये जाने का कथन किया है। इस बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार होने व विपक्षी खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सारंगपुरा (कानोड) पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 की आराजी नम्बर 477, 480, 481, 482 किता 04 रकबा 0.8100 है. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थी को बेदखल नहीं करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:48:42 IST
Reason: SelfAttested